

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 30 मार्च 2026, समय 1305 (5 मिनट))

केंद्र सरकार ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले केरोसिन तेल के वितरण की अनुमति दे दी है। विश्वभर में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य सामान्य स्थिति में केरोसिन का उपयोग बंद होने वाले क्षेत्रों में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करना है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि इस अधिसूचना के अनुसार उन राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में निर्धारित ईंधन स्टेशनों को घरेलू उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले केरोसिन तेल का भंडारण और वितरण करने की अनुमति दी गई है, जहां सामान्य परिस्थितियों में केरोसिन का उपयोग बंद कर दिया गया था। मंत्रालय ने बताया कि एक जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनियों के स्वामित्व वाले अधिकतम दो ईंधन स्टेशन पांच हजार लीटर तक केरोसिन का भंडारण कर सकते हैं। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

दो और भारतीय एलपीजी टैंकर, 94 हजार टन एलपीजी के साथ स्वदेश आ रहे हैं। दोनों टैंकरों ने होर्मुज जल-डमरू-मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। एक एलपीजी टैंकर बीडब्ल्यू टीवाईआर कल मुंबई पहुंच सकता है, वहीं दूसरे टैंकर बीडब्ल्यू ईएलएम के पहली अप्रैल को न्यू मेंगलोर पहुंचने की संभावना है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण होर्मुज जल-डमरू-मध्य से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। इससे पहले, भारत के चार एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से जल-डमरू-मध्य से गुजर चुके हैं।

हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम घोष ने कहा कि सामाजिक आयोजन समाज में एकजुटता, सहयोग और सेवा की भावना को मजबूत करते हैं। राज्यपाल कल देर शाम गुरुग्राम में बंगिया परिषद की स्थापना वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने संस्था के सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि रक्तदान, अंगदान, जरूरतमंद बच्चों को पुस्तकें एवं वस्त्र उपलब्ध कराने जैसी पहलें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सामुदायिक संगठनों को अपनी भूमिका का विस्तार करते हुए सरकार, प्रशासन, कॉर्पोरेट क्षेत्र और अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ समन्वय बढ़ाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, आपदा राहत और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में अधिक प्रभावी और व्यापक कार्य किया जा सकता है।

राज्यपाल ने बंगिया परिषद के सदस्यों से आह्वान किया कि सभी मिलकर एक ऐसा मजबूत तंत्र विकसित करें, जिसमें सामुदायिक संगठनों को सशक्त बनाकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इस अवसर पर बर्टोल्त ब्रेख्ट के नाटक द एक्सेप्शन एंड द रूल पर आधारित "ब्यातिक्रम" नाटक का मंचन भी हुआ। नंदीकर द्वारा तैयार इस प्रस्तुति का रूपांतरण रुद्रप्रसाद सेन गुप्ता व निर्देशन सोहिनी सेन गुप्ता ने किया। राज्यपाल व समारोह में पहुंचे लोगों ने नाटक के कथानक और पात्र कलाकारों के अभिनय की सराहना की।

फरीदाबाद में कल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवाओं, महिलाओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। शिविर के आयोजक डॉ. हेमंत अत्री एव सोनू झांब ने बताया कि देर शाम तक चले रक्तदान शिविर में 136 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना और लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आगे भी इसी तरह के रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे।

पलवल पुलिस के मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ ने अलग अलग जगह से 952 ग्राम मादक पदार्थ गांजा सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।

प्रकोष्ठ के प्रभारी विश्व गौरव ने बताया कि एक सूचना के आधार पर ट्रैक्टर मार्केट निवासी अशफाक को काबू किया गया। तलाशी लेने पर उससे पॉलिथीन के अंदर रखी 127 पुड़ियों में 674 ग्राम गांजा बरामद हुआ। वहीं दूसरे मामले में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर राजीव नगर निवासी प्रमोद को काबू किया। तलाशी लेने पर उससे 278 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

पलवल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप-कृषि निदेशक डा. बाबू लाल ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते पोर्टल पर अपना डाटा अपडेट कर लें, ताकि मंडी में फसल बेचने के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। गेट पास जारी करने का समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक निर्धारित किया गया है।

गौरतलब है कि हरियाणा में फसल बेचने के लिए गेट पास जारी करने हेतु बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत किसान स्वयं या अधिकतम तीन सदस्यों को अपने प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत कर सकता है। सरकार द्वारा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला के माध्यम से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सदस्य जोड़ने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
